

कार्यालय आदेश

कार्यालय के पत्र संख्या-591, दिनांक-13/06/2019 के सन्दर्भ में केन्द्रीय ब्वायलर बोर्ड भारत सरकार द्वारा ब्वायलर निरीक्षण के लिए अधिकृत एजेंसियों को निर्देश दिया जाता है कि उत्तराखण्ड राज्य में 1000 M² से अधिक Heating Surface के स्थापित ब्वायलर्स का निरीक्षण शुल्क ब्वायलर अधिनियम 1950 की धारा 385(a) में निर्धारित शुल्क का दोगुना ही चार्ज किया जायेगा।

(आर० के० सिंह)

मुख्य ब्वायलर निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन नैनीताल रोड हल्द्वानी।

कार्यालय मुख्य ब्वायलर निरीक्षक, उत्तराखण्ड, श्रम भवन नैनीताल रोड हल्द्वानी।

पत्र संख्या- 1184-88

दिनांक- 31/10/2019.

प्रतिलिपि:-

1. सचिव श्रम उत्तराखण्ड शासन।
2. श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड।
3. श्री पंकज गुप्ता अध्यक्ष, उत्तराखण्ड औद्योगिक संगठन, मोहब्बेवाला इंडस्ट्रियल एरिया देहरादून।
4. अधिकृत थर्ड पार्टियां।
5. समस्त कारखाने जिनमें 1000 M² हीटिंग सर्फेस एरिया से ऊपर के ब्वायलर स्थापित हैं।

31/10/19
(आर० के० सिंह)

मुख्य ब्वायलर निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन नैनीताल रोड हल्द्वानी।